भारत सरकार **राज्य सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं 1325**

(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 02 अगस्त, 2024 को उत्तर दिये जाने के लिए

समुद्री उत्पादों का निर्यात

1325 श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क) विगत पांच वर्षों के दौरान समुद्री उत्पादों का वर्ष वार कुल उत्पादन और कुल निर्यात कितना है;

(ख) क्या सरकार ने अगले दो वर्षों में समुद्री उत्पादों के निर्यात हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ग) यदि हां, तो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) पिछले पांच वर्षों में समुद्री उत्पादों का वर्षवार, कुल उत्पादन और कुल निर्यात अधोलिखित तालिका में दिया गया है:-

वर्ष	उत्पादन(लाख टन में)	निर्यात(लाख टन में)
2019-20	141.64	13.29
2020-21	147.25	11.68
2021-22	162.48	13.98
2022-23	175.45	17.54
2023-24	182.70**	18.19

**स्रोत: डीजीसीआईएस, और मत्स्य विभाग, भारत सरकार*

*** अनुमानित*

(ख) और (ग) : सरकार नियमित रूप से समुद्री उत्पादों सहित निर्यात निष्पादन की मॉनिटरिंग और समीक्षा करती है, साथ ही निर्यात संवर्धन निकायों और विदेश स्थित भारतीय मिशनों के साथ मिलकर पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात बढ़ाने के प्रयोजन से काम करती है। आंतरिक लक्ष्यों का उपयोग केवल मॉनिटरिंग के उद्देश्य से किया जाता है, और वर्ष 2024-25 के लिए 7.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर निर्धारित किए गए है।

सरकार, वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सांविधिक संगठन, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) के माध्यम से, मूल्यवर्धन के लिए अवसंरचना सुविधाओं के उन्नयन, परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी तथा निर्यात के लिए जलीय कृषि उत्पादन हेतु तकनीकी सहायता आदि देकर सहायता प्रदान करती है।

बजट 2024-25 में घोषित झींगा और झींगा फ़ीड/मछली फ़ीड बनाने के लिए विभिन्न सामग्रियों/इनपुटों पर आयात शुल्क में घोषित की गई कमी से भारतीय समुद्री खाद्य आधारित मूल्यवर्धित उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे और यह निर्यात बढ़ाने में सहयोग करेगी। आयात शुल्क में की गई कमी में फिश लिपिड आयल(एचएस 1504 20) और अल्गल प्राइम(फ्लोर) (एचएस 2102 2000) पर 15% से शून्य करना, क्रिल मील (एचएस 2301 20),मिनरल और विटामिन प्रिमिक्सेस (एचएस 2309 90 90) पर 5% से शून्य करना,क्रुड फिश ऑयल पर 30% से शून्य करना, प्रान और श्रिम्प फीड(2309 90 31) पर आयात शुल्क 15% से 5% करना और फिश फीड (2309 90 39) और प्री-डस्ट ब्रीडेड पाऊडर पर आयात शुल्क 30% से शून्य करना शामिल है।
सरकार ने विभिन्न समुद्री खाद्य उत्पादों के लिए निर्यात उत्पादों पर शुल्कों एवं करों की छूट (आरओडीटीईपी) को 2.5% से बढ़ाकर 3.1% कर दिया है तथा प्रति किलोग्राम अधिकतम मूल्य सीमा को बढ़ाकर 69.00 रुपए कर दिया है, जिससे ऐसे उत्पादों के निर्यात को भी संवर्धन मिलेगा।

इसके अलावा, मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार मत्स्य पालन क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 5 वर्षों की अवधि के लिए मत्स्य पालन क्षेत्र में ₹20050 करोड़ के निवेश के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) नामक एक फ्लैगशिप स्कीम को कार्यान्वित कर रही है। इस योजना का उद्देश्य मछली उत्पादन और उत्पादकता, कैच/हार्वेस्ट की गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी समावेशन, फसलोपरान्त अवसंरचना, मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण, फसलोपरान्त नुकसान में कमी, ट्रेसबिलीटी आदि में महत्वपूर्ण अंतरालों को दूर करना है। 2020-21 से, भारत सरकार के मत्स्य विभाग ने पीएमएमएसवाई के तहत कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1283.47 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को अनुमोदन दिया है, जिसमें 586 कोल्ड स्टोरेज का निर्माण, 78 कोल्ड स्टोरेज/बर्फ संयंत्रों का आधुनिकीकरण और 26588 फसलोपरांत के बाद परिवहन सुविधाएं शामिल हैं।
किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप, भारत का समुद्री खाद्य निर्यात वर्ष 2019-20 में 46,662.85 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 61043.68 करोड़ रुपये हो गया, जो 30.81% की वृद्धि दर दर्ज करता है।

******